

अनुदान संख्या 46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 46-MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	186,55,00	186,56,00	121,39,16	-65,16,84
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				60,25,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1405.00	1015.70	899.21	-116.49
पु.	R.	-389.30			
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"				
मछली पालन	Fisheries				
मू.	O.	4900.00	1465.00	1446.98	-18.02
पु.	R.	-3435.00			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	10550.00	10150.30	9792.97	-357.33
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-400.70			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"
उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	North Eastern Areas
मू.	O. 1800.00
पु.	R. -1800.00

(I) 1800.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552"- "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" - 300.16 लाख रु. की बचत (910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य व्यय - फल और सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय का सुदृढीकरण"- 205.63 लाख रु. की बचत (495.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत 3453.02 लाख रु. की बचत (4900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1800.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552"- "Other Expenditure - Provisions for Projects/Schemes for North Eastern States including Sikkim"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim and surrender of balance amount owing to receipt of less viable proposals.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" - saving of Rs.300.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.910.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of plan provision by Ministry of Finance.

(B) "Other Expenditure - Strengthening of Directorate of Fruit and Vegetable Processing" - saving of Rs.205.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.495.00 lakhs) was due to non - approval of the project and reduction of plan provision by Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2405" - "Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations" - saving of Rs.3453.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4900.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and reduction of plan provision by Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण-बागवानी आधारित उद्योग” के अंतर्गत 1007.50 लाख रु. की बचत (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 9466.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से जनशक्ति विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “2408” - “खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - दुग्ध आधारित उद्योग” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 237.18 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(IV) Under Major Head “2408” – “Food – Food Processing-Horticulture Based Industries” – saving of Rs.1007.50 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.9466.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2006) was due to non-finalisation of proposals under the scheme for Man Power Development owing to non-approval by the Cabinet Committee on Economic Affairs and Expenditure Finance Committee.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2408” – “Food – Food Processing-Milk Based Industries” – excess of Rs.237.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.